



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब0/461/2025 दिनांक : 28 / 10 / 2025

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालय,
सम्बद्ध डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय: बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं हेतु अनिवार्य
स्काउटिंग-गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एम.जी. 98/991/2023-24 दिनांक 04.09.2023 तथा तत्सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) डिग्री विकास, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री विकास/48603/2023-24 दिनांक 21.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग एवं गाइडिंग प्रशिक्षण से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि बी०एड० संस्थानों में "स्पेशल इंट्रोडक्ट्री कोर्स" (Special Introductory Course) के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भारत स्काउट एवं गाइड, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

यह भी अवगत कराना है कि बी०एड० प्रैक्टिकल के समय प्रत्येक छात्र/छात्रा का स्काउट/गाइड प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से देखा जायेगा।

नोट:- शिविर आयोजन से सम्बन्धित किसी भी जानकारी हेतु निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

1. प्रो० अनीता रानी, जिला प्रशिक्षण आयुक्त (रेंजर),
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

☎ मो० नं० 8218106372

(श्रीमती बी०डी० जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा)

2. श्री विशाल कुमार, जिला प्रशिक्षण आयुक्त (रोवर),
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

☎ मो० नं० 7533959909

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,


(कुलसचिव)

तिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रो० एस० पी० सिंह, प्राचार्य, सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा।
3. प्रभारी कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. अधिकृत एजेंसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को सम्बद्ध बी०एड० महाविद्यालयों के लॉगिन आईडी पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गाइड फाइल।

(कुलसचिव)